कार्यालय सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)–2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई–मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / ऑनलाईन / 2017 / 6142 खंडवा, दिनांक 23/11/17

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,

जल संसाधन संभाग खण्डवा

विषयः– भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित 148.75 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उपयोग हेतु वन प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध के संबंध में। प्रस्ताव कमांक – FP/MP/IRRIG/28814/2017.

संदर्भः– आपका पत्र कमांक / कार्य / वनप्रकरण / 3728 दिनांक 13.11.2017।

---000---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित 148.75 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उपयोग हेतु वन प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध निम्नानुसार कार्यवाही की जावें ।

1. प्रस्तावित योजना का वन एवं राजस्व वनभूमि पर स्थल पर स्पष्ट सीमांकन कराया जाकर संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
2. प्रभावित वन भूमि 148.75 हे0 की कक्षवार विवरण पत्रक प्रस्तुत करें।
3. संबधित उपवनमंडलाधिकारी से प्रस्तावित योजना का संयुक्त निरीक्षण कराया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
4. प्रस्तावित योजना की ईमेज (50KB से कम) जेपीईजी फाईल एवं प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण की ईमेज एवं फोटोग्राफस KML एक्झाई फाईल प्रस्तुत करावें।
5. प्रस्तावित योजना में राजस्व वन भूमि छोटे बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि प्रभावित होने संबंधी संबधित तहसीलदार का प्रतिवेदन ग्रामवार खसरेवार रकबे सहित प्रस्तुत करें।
6. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जा रही गैर वनभूमि पर अतिकमण दर्शाया गया है। अतः अतिकमण से मुक्त कराकर उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यलयीन पत्र कमांक 2948 दि. 31.08.2017 के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
7. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जा रही गैर वनभूमि का एक्झाई पटवारी मानचित्र एवं खसरा प्रति जिसमें राजस्व मद स्पष्ट रुप से अंकित हो प्रस्तुत करावे।
8. प्रकरण में पंजीयन राशि 1000 /– एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 15000 /– इस प्रकार कुल 16000 /– शब्दों में (सोलह हजार रुपये) मात्र का बैक ड्राफ्ट वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा के नाम से जमा करावे।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कराने का कष्ट करें। ताकि मेरे द्वारा संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(एस.के.सिंह)
(भा.व.से.)
वन संरक्षक
वनमंडल सामान्य खंडवा

पृष्ठांकन क्रमांक / मा.चि. / ऑनलाईन / 2017 /   खंडवा, दिनांक

प्रतिलिपि : –

1– मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– कलेक्टर (वाचक शाखा) जिला खण्डवा की ओर कार्यालयीन पत्र कमांक 2947 दिनांक 31.08.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कृपया भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गई वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्यवाही कराने का कष्ट करेगे ताकि ऑनलाईन कार्यवाही समय सीमा में की जा सके।

3– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खण्डवा एवं हरसूद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4– उपवनमंडलाधिकारी खण्डवा सामान्य की कार्यलयीन पत्र कमांक 3227 दिनांक 21.09.2017 के संदर्भ मे ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। चूकि प्रकरण ऑनलाईन दिनांक 20.11.2017 को दर्ज है जिसमें समय सीमा 15 दिवस निर्धारित है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भाग – 2 में आवश्यक प्रविष्टि कराकर पूर्ण प्रस्ताव समय–सीमा में प्रस्तुत करावें। साथ ही जिसमें वैकल्पिक वृक्षारोण योजना का अनुमोदन मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा वृत खण्डवा से कराया जाना भी सम्मिलित है अतः सर्वप्रथम 148.75 हे0 वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि की दस बर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना मय KML फाईल एवं मानचित्र के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करावें ताकि ऑनलाईन की कार्यवाही समय सीमा में की जा सके।

5– उपवनमंडलाधिकारी पश्चिम कालीभीत सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भाग – 2 में आवश्यक प्रविष्टि कराकर पूर्ण प्रस्ताव समय–सीमा में प्रस्तुत करावें।

6– परिक्षेत्राधिकारी खालवा एवं गुडी सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। भाग –2 में आवश्यक प्रविष्ठि कर प्रभावित वृक्षों का गणना पत्रक एवं मयमानचित्र प्रस्तावित योजना की ईमेज (50KB से कम) जेपीईजी फाईल एवं निरीक्षण चेक लिस्ट के साथ पूर्ण प्रस्ताव उपवनमंडलाधिकारी के माध्यम से समय–सीमा में प्रस्तुत करें।

7– परिक्षेत्राधिकारी खण्डवा सामान्य की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि का नियमानुसार अतिकमण से मुक्त होने पर हस्तांतरण किया जाकर पूर्ण प्रस्ताव उपवनमंडलाधिकारी के माध्यम से समय–सीमा में प्रस्तुत करें साथ ही गैर वनभूमि की संरक्षित वन घोषित कराने की अधिसूचना निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (अनुकमांक 04 से 07 हेतु)

Sd/-
वन संरक्षक
वनमण्डल सामान्य खण्डवा

E:\memo 2017 N\Memo 2017-2 N.docx